

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 25/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. .... (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20, 23, 29 और 31 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 216(अ) दिनांक 27 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र.सं. 2 के समक्ष, कॉलम 7 में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "40.41" प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/173/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

(अम्रीता टाइटस)  
उप सचिव, भारत सरकार